

FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

किस्म मुकदमा - पत्थरगढ़ी

नं. 174/22

सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तारीख में जारी हुए
17.6.22	<p>प्राथी की ओर से वकील श्री <u>सहलाद सिंह</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नगल जगावन्दी एवं नवशा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद में पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>साक्षित विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्राथी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय में प्रस्तुत किया कि मौजा <u>संगेसरा</u> पटवार मण्डल <u>संगेसरा</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>814</u></p> <p>रकबा <u>1.4540</u> हेक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ोसी है प्राथी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उसे नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को <u>1000</u> - अक्षरे <u>एक</u> हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नवशे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में देखल दिये मौजा <u>संगेसरा</u> पटवार मण्डल <u>संगेसरा</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>814</u></p> <p>रकबा <u>1.4540</u> हे0/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकामल तौर पर की जावें।</p> <p>पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>20/7/22</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला